पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 फरवरी, 2005 ई० (माघ 23, 1926 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80, वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून

आदेश

03 जनवरी, 2005 ई०

No. F-9(3)RG/UERC/2004/842--राज्य में संचालित होने वाले जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के दर निर्धारण के लिए आयोग ने प्रारूप विनियम प्रकाशित किए थे तथा इन पर, प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं, जिन पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि :

(अ) लघु जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों (25 मेगावाट क्षमता तक) के लिए विनियम बनाने के लिए और अधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता है;

(ब) अन्य सभी जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए आयोग द्वारा यथा–अनुमोदित विनियम अधिसूचित कर दिए जाएं।

2–लघु विद्युत उत्पादन केन्द्रों (25 मेगावाट क्षमता तक) के लिए आंकड़ों की अपर्याप्तता अभी भी इस श्रेणी की उत्पादन इकाइयों के लिए अलग विनियम बनाने के मार्ग में बाधक बनी हुई है। यद्यपि आयोग इस दिशा में प्रयासरत है, इन विनियमों को अंतिम रुप देने में कुछ समय लग सकता है। इस दौरान इस श्रेणी की उत्पादन इकाइयों के दर निर्धारण के लिए आयोग एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि :–

3–"जब तक लघु विद्युत उत्पादन इकाइयों (25 मेगावाट क्षमता तक) के दर निर्धारण के लिए अलग विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल विद्युत केन्द्रों के लिए 14.05.2004 को अधिसूचित, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 ऐसे शिथिलिकरणों तथा परिवर्तनों के साथ जो आयोग के विचार से आवश्यक हों, दर निर्धारण के लिए मार्गदर्शन करेंगे।"

आज्ञा से,

आनन्द कुमार,
सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग।

दिनांक : 31–12–2004